संख्या-82/2021/1487/26-3-2020-1514/2016

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2021

विषय-मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगियों हेतु निःशुल्क टैबलेट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016 दिनांक 06.02.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0,नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण/ऑनलाईन प्रशिक्षण/सलाह प्रदान किये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये थे।

2- उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को जो सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करते हों तथा नियमित रूप से आफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो ऐसे अभ्यर्थियो को निःशुल्क टैबलेट निम्नानुसार उपलब्ध कराये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पंजीकृत होना चाहिए अथवा मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
2. शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016, दिनांक-06.02.2021 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा पूर्व में आयोजित आनलाइन परीक्षा परिणाम के आधार पर सिविल सेवा/राज्य सिविल सेवा, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, जे0ई0ई0, नीट के कट-आफ का निर्धारण मण्डलवार टैबलेट के आवंटित लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा।
3. अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0-6.00 लाख होनी चाहिए।
4. जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता दोनों नहीं है अथवा परिवार का कमाऊ मुखिया/सदस्य (माता अथवा पिता का निधन 01.04.2020 के उपरान्त हुआ हो) को प्रस्तर-2 में निर्धारित मेरिट से छूट रहेगी। यदि मण्डलायुक्त द्वारा ऐसा पाया जाता है कि कोई ऐसा छात्र/छात्राएं पंजीकरण से छूट गये हो, तो उन्हें शामिल करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
5. अभ्यर्थी ने पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा टैबलेट या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण विगत 05 वर्षो में लाभ प्राप्त न किया हो तथा परिवार में एक से अधिक अभ्यर्थियों को योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
6. आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने के लिए आनलाइन व आफलाइन की व्यवस्था रहेगी, जिससे अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो।
7. मण्डलवार लक्ष्य की सूची संलग्नक-1 के अनुसार रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. प्रस्तर-2 में मेरिट निर्धारण कर सूची राज्य स्तरीय समिति द्वारा सभी मण्डलायुक्तों को उपलब्ध करायी जाएगी।

3- निदेशक, समाज कल्याण टैबलेट की विशिष्टियां/स्पेशिफिकेशन प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डिस्को, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कापोरेशन लि0, अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ एवं निदेशक, एन0आई0सी0 द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ से विचार-विमर्श व सहयोग से निर्धारित किया जायेगा तथा माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-1381/15-7-2020 दिनांक 11.09.2020 में निर्धारित टैबलेट विशिष्टियों को भी संज्ञान में लेते हुये अंतिम किया जाएगा।

4- उपरोक्तानुसार विशिष्टियां निर्धारण के उपरान्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (अनुभाग-2) के शासनादेश संख्या-11/2017/ 523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 23.08.2017 के प्रस्तर-3(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जेम पोर्टल से प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित मात्रा के अनुसार सम्बन्धित मण्डलायुक्त को टैबलेट की आपूर्ति सुनिश्चित करेगें।

5- जेम पोर्टल पर प्रोक्योरमेन्ट के सम्बन्ध में किसी तरह की कठिनाई आती है तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (अनुभाग-2) के शासनादेश संख्या-19/2017/836/ 18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 28.11.2017 से गठित सेल के अन्तर्गत तकनीकी अधिकारियों से सम्पर्क कर निवारण करेगें।

6- टैबलेट क्रय पर आने वाला व्यय भार योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट के मद (अनुदान संख्या-80, लेखा शीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण, 200-अन्य कार्यक्रम, 13-''अभ्युदय योजना'' के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण, मानक मद सं0-42-अन्य व्यय) से किया जायेगा।

7- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से टैबलेट का क्रय किया जायेगा, जिससे सेंटेज चार्जेज की बचत हो सकें तथा टैबलेट क्रय करने के बाद सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय को निर्धारित संख्या में टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। टैबलेट वितरण कार्यक्रम हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन कराते हुये मण्डल/राज्य मुख्यालय जैसी भी स्थिति बनती हो के अनुसार समारोह का आयोजन किया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्त के देखरेख व निर्देशन में उपनिदेशक, समाज कल्याण व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

8- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेशों में की गयी व्यवस्था यथावत रहेगी। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-1

भवदीय

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-82/2021/1487(1)/26-3-2021-तददिनांक-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
4-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
5-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, यू0पी0, इलेक्ट्रानिक्स।
6-महानिदेशक,उ0प्र0प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, उत्तर प्रदेश/(उपाम द्वारा नामित सदस्य, संयोजक)।
7-श्री रंजन कुमार, मण्डलायुक्त लखनऊ (सदस्य)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9-श्रीमती लक्ष्मी सिह, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र (सदस्य)।
10-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11-प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डिस्को, लखनऊ।
12-प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
13-निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
14-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0लखनऊ (सदस्य)।
15-तकनीकी विशेषज्ञ सदस्य (निदेशक, एन0आई0सी0 द्वारा नामित अधिकारी)
16-मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17-समस्त मण्डलीय, संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
18-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
20-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत निःशुल्क टेबलट वितरण हेतु मण्डलवार लक्ष्य

(वित्तीय वर्ष 2021–22)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	लक्ष्य
1	आगरा	542
2	अलीगढ़	287
3	अयोध्या	771
4	आजमगढ़	446
5	बरेली	538
6	बस्ती	247
7	चित्रकूट धाम	163
8	देवीपाटन	286
9	गोरखपुर	695
10	झांसी	190
11	कानपुर	637
12	लखनऊ	1502
13	मेरठ	700
14	मुरादाबाद	468
15	प्रयागराज	958
16	सहारनपुर	203
17	वाराणसी	796
18	विन्ध्याचल	211
	योग–	9640

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

ह0/–
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।